न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष :**मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2090–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 01–06–2015 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी मुरार जिला ग्वालियर प्रकरण कमांक 10/अपील/2012–13

.....

1–गोवर्धन पुत्र स्व0श्री हरनारायण
2–कृष्णगोपाल पुत्र स्व0श्री हरनारायण
3–कांताप्रसाद पुत्र स्व0श्री हरनारायण
निवासीगण ग्राम भदरौली तहसील व जिला
ग्वालियर म0प्र0

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–नरहरि शर्मा पुत्र स्व.श्री वासुदेव शर्मा
निवासी ग्राम भदरौली तहसील व जिला
ग्वालियर म0प्र0
2–खेमराज पुत्र स्व.श्री वासुदेव शर्मा
3–मुरारीलाल पुत्र स्व0श्री वासुदेव शर्मा
4–दौलतराम उर्फ भंता पुत्र स्व0श्री वासुदेव शर्मा
5–प्रमोद पुत्र श्री वासुदेव शर्मा
6–रामबेटी पुत्र स्व0श्री वासुदेव शर्मा
निवासीगण ग्राम भदरौली तहसील व जिला
ग्वालियर म0प्र0

..... अनावेदकगण

– – –

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री सी0एम0गुप्ता, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1

– – –

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 12/5/16 को पारित)

आवेदक ने यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी मुरार जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01–06–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा नामान्तरण पंजीं कमांक 40/20–8–1985 में पारित आदेश दिनांक 29–10–1985 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 26–12–2012 को लगभग 27 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 10/2012–13/अपील दर्ज कर दिनांक 1–6–2015 को अंतरिम आदेश पारित किया जाकर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि पूर्व में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 29–11–2014 को आदेश पारित किया जाकर जिन निर्देशों के साथ प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया गया था उन निर्देशों का बिना पालन किये 27 वर्षो का विलम्ब क्षमा करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनियमित एवं अवैधानिक कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष यह नहीं बतलाया गया है कि उन्हें जानकारी किस तरह प्राप्त हुई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक का नामान्तरण पंजीकृत विकय पत्र के आधार पर हुआ है और पंजीकृत विकय पत्र के आधार पर हुये नामान्तरण में 27 वर्ष पश्चात् हस्तक्षेप करना अनुचित कार्यवाही है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा 27 वर्ष के विलम्ब को क्षमा करने का कारण आदेश में नहीं दर्शाया गया है, इस आधार पर कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश बोलता हुआ आदेश नहीं है ।

4/ प्रतिउत्तर में अनावेदक क्र.1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस न्यायालय के आदेश के पालन में ही कार्यवाही की जाकर विलम्ब क्षमा करने संबंधी आदेश पारित किया गया है जो कि उचित है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदकगण द्वारा अग्रिम कार्यवाही में हिस्सा लेते हुये व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है और अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष

प्रकरण का गुणदोष पर निराकरण होना है । दूसरी ओर अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है जो कि निरर्थक होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा अनावेदक कमांक 1 की भूमि पर नामान्तरण करा लिया गया है जो कि पूर्णतः अवैधानिक एवं अनुचित होने से निरस्त किये जाने योग्य है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय द्वारा नामान्तरण पंजी पर जो आदेश पारित किया गया है, उसमें अनावेदक की उपस्थिति नहीं है, जबकि अनावेदक ने प्रथमदृष्टया प्रश्नाधीन भूमि से अपना संबंध दर्शाया है । उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र को स्वीकार करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित आदेश होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार अनुविभागीय अधिकारी मुरार जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01–06–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर